(5)

फर्द अहकाम

नानगराम बनाम प्रेम देवी

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 143/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29/8/24	पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से एड श्री कानाराम बैरवा उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया साथ ही आपत्ति प्रार्थना पत्र विरुद्ध कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी क्रमांक भू-अभिलेख/2022/8394/दिनांक 29/08/2022 का पेश किया। वादी अधिवक्ता ने दस्तावेजो की सूची मय दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी सं. 1 लगा 9 की ओर से एड श्री गोविन्द शर्मा उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता ने आपत्ति प्रार्थना पत्र विरुद्ध कुर्रेजात रिपोर्ट पर सीधे बहस की। उभयपक्ष अधिवक्ता की आपत्ति प्रार्थना पत्र विरुद्ध कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा न. 140, 141, कुल किता 2 कुल रकबा 8.3204 हैक्ट भूमि के 1/8 हिस्सा है उस पर काबिज काश्त चला आ रहा है आराजी खसरा न. 141/2 में प्रार्थी का बोरिंग लगा हुआ है तथा बिजली कनेक्शन लिया हुआ है लेकिन बटवारे में खसरा न.	

अमन

फर्द अहकाम

नानगराम बनाम प्रेमदेवी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 143/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		141/2 की भूमि वादी को दी गई है उसमे अजनबी क्रेता श्रीमती सरोज पत्नी कमल कुमार जिसने घाजू पुत्र गोपी धानका जाति धानका साकिन खातेदार से क्रय करके कब्जा कर लिया है एवं वादी को अपने बोरिंग वाली भूमि के समीप पर ही करीब 15x25 फीट कब्जा करके गेट/दरवाजा लगाकर वादी को बेदखल कर दिया है। तहसीलदार बस्सी को मौके पर भिजवाकर कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 29/08/2022 की मौके पर पालना करवाई जाकर वादी को दी गई भूमि पर कब्जा दिलवाया जावे। अत: आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार कर कुर्रेजात आपत्ति रिपोर्ट को तहसीलदार श्री एवं प्रार्थी की मौजूदगी मे मौके पर पुनः बनाने के आदेश प्रदान करें।
		प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना की जवाब के बहस मे कथन किया कि वादी ने अपने वादपत्र मे बोरिंग होने का उल्लेख कहीं भी नही किया है

लगातार

फर्द अहकाम

नानगराम वनाम प्रेमदेवी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 143/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		एवं वादी को मौके पर जमीन सही जगह पर दी गई है परन्तु कब्जा नही है स्वयं की स्वीकारोक्ति है एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र की मद सं 3 में कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 29/08/2022 की मौके पर पालना करने हेतु स्वयं सहमत है। अतः प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाकर दिनांक 29/08/2022 को प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। उभयपक्षों की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की आपत्ति प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन करने के उपरान्त हम पाते है कि तहसीलदार बस्सी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मे खसरा नं. 151/2 वादी नानगराम के हिस्से मे दर्शाया गया है एवं प्रार्थी/वादी आपत्ति प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 मे कुर्रेजात रिपोर्ट की पालना करवाने हेतु स्वयं सहमत	mnt

फर्द अहकाम

नानगराम बनाम प्रेमदेवी

ग्राम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 143/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		है एवं वादी/प्रार्थी के कथन विरोधाभासी प्रतीत होते हैं इसलिए प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार बस्सी के पत्रांक भू.अ./2022/8394 दिनांक 29/08/2022 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा न. 150 रकबा 0.0506 हैक्टर, खसरा न. 151 रकबा 8.2698 हैक्टर स्थित ग्राम अचलपुरा प.ह. पालावाला जाटान तह. बस्सी जि. जयपुर में से खसरा न. 151/1 रकबा 4.1349 हैक्टर. की भूमि खातेदार प्रेमदेवी पत्नि गोपाललाल जाति मीना सा. चतरपुरा तह. सांगानेर खातेदार रहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा कल्याणपुरा के हिस्से में रहेगी तथा खसरा न. 151/2 रकबा 1.0337 हैक्टर कि भूमि खातेदार नानगराम पुत्र गोपी जाति धानका सा. देह खातेदार रहिन बैंक आफ इंडिया शाखा कल्याणपुरा के हिस्से में रहेगी तथा

(8)

फर्द अहकाम

नानगराम बनाम प्रेमदेवी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 143/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		खसरा न. 141/3 रकबा 1.0337 हैक्ट. की भूमि धाजू पुत्र गोपी जाति धानका सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा खसरा न. 141/4 रकबा 1.0337 हैक्ट की भूमि खातेदार मीरा पत्नि स्व. नाथू जाति धानका सा. देह के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 141/5 रकबा 1.0338 हैक्ट की भूमि खातेदार बनवारी पुत्र रेखाराम हि. 21/41 शेखर पुत्र कालूराम हि. 10/41 बीना देवी पत्नि स्व. जीवनराम गिरधारी पुत्र जीवनराम खुशबू पायल पुत्रिया जीवनराम ना. बा. संरक्षिका माता बीना देवी हि. 10/41 जाति धानका सा. रिकशा नरसिंहपुरा तह. सांगानेर खातेदार के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 140 रकबा 0.0506 हैक्ट की भूमि खातेदार प्रेमदेवी पत्नि गोपाललाल हि. 1/2 जाति मीना सा. चतरपुरा तह. सांगानेर राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाल्यावास नानगराम पुत्र गोपी हि. 1/8 राहिन बैंक आफ इंडिया शाखा कल्याणपुरा धाजु पुत्र गोपी हि. 1/8 मीरा पत्नि स्व. नाथू हि. 1/8 जाति धानका सा. देह बीना देवी पत्नि स्व. जीवनराम गिरधारी पुत्र	mm

फर्द अहकाम

नानगराम बनाम प्रेमदेवी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 143/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		जीवनराम खुशबू पायल पुत्रियां जीवनराम ना. बा. संरक्षिका माता बीना देवी हि. 5/64 शेखर पुत्र कालूराम हि. 5/64 बनवारीलाल पुत्र रेखाराम हि. 21/328 जाति धानका सा. रिकशा नरसिंहपुरा तह. सांगानेर खातेदार के हिस्से में रहेगी। उक्तानुसार तहसीलदार बस्सी राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करने की कार्यवाही करें। बाद अनुमोदन विभाजन प्रस्ताव व नक्शे तहसीलदार बस्सी को भिजवाया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। यह निर्णय आज दिनांक 29/08/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर बस्सी जिला - जयपुर ग्रामीण